समाचार

निगम के बकायादार की प्रॉपटी को किया गया सील, निगम के वार्ड क्र. 15 में हुई कार्यवाही

(कर न जमा करने वालों पर सख्त कार्यवाही कर रहा निगम, सीलबंदी के साथ सम्पत्तियों को कुर्क करने की होगी कार्यवाही)

कोरबा 20 फरवरी 2026 – निगम को देय सम्पत्तिकर संबंधित करदाता द्वारा न पटाये जाने पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर आज निगम ने बकायादार की सम्पत्ति को सील कर दिया, यह कार्यवाही वार्ड क्र. 15 में निगम के बड़े बकायादार विहार ट्रांसपार्ट कंपनी पर की गई, कर न जमा करने वाले बकायादारों पर अब सख्त कार्यवाही कर रहा है निगम, विशेष कर बड़े बकायादारों द्वारा यदि शीघ्र बकाया करों की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्पत्तियों की सीलबंदी व उन्हें कुर्क करने की कार्यवाही भी निगम द्वारा की जाएगी।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ऐसे बड़े बकायादारों जिनके द्वारा निगम को देय बकाया करों के भुगतान किए जाने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा बार–बार वारंट, नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा बकाया करों की राशि निगम में जमा नहीं कराई जा रही, ऐसे बकायादारों के विरूद्ध निगम कड़ी कार्यवाही की तैयारी में हैं। यहॉ उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा सम्पत्तिकर, समेकित कर, जलकर आदि सहित विभिन्न करों की एक बड़ी बकाया राशि बकायादारों से प्राप्त की

जानी है, इस हेतु निगम द्वारा बकायादारों को बार–बार नोटिस व वारंट आदि जारी कर बकाया राशि का भुगतान निगम कोष में किए जाने हेतु कहा जा रहा है, किन्तु बकायादारों द्वारा राशि जमा करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण एक ओर जहॉ निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, वहीं नगर के विकास व नागरिक सुविधाओं की बेहतरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हैं। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के कडे निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा अब इन बकायादारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में आज वार्ड क्र. 15 परिवहन नगर जोन प्लांट नम्बर 14 में बकायादार बिहार ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा सम्पत्तिकर की बकाया राशि 86870 रूपये निगम कोष में जमा नहीं कराई जा रही, जिन पर कार्यवाही करते हुए निगम के राजस्व अधिकारी अनिरूद्ध प्रताप सिंह की अगुवाई में निगम की टीम ने उनकी सम्पत्ति को सील कर दिया है तथा उन्हें तत्काल बकाया कर राशि निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी अनिरूद्ध सिंह के साथ ही उप जोन प्रभारी दिलेश्वर सिंह कंवर, राजस्व उप निरीक्षक रथराम राठौर, भावेश यादव, अजय टांडे, राजेश वैष्णव आदि ने संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की।